फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

भूपेन्द्र कटारिया बनाम आनन्दीलाल वगै०

ख्या : प्रा.पत्र 136/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
31/10/2025	पगवली प्रस्तुत/वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रस्तुत तर्को, दलावेजो के आधार पर मामला, अपूर्णोपस्थिति व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है अतः प्रा०पत्र अस्वीकार निरेधाज्ञा खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाय। पगवली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 136/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 08.10.2025

भुपेन्द्र कटारिया पुत्र श्री आनन्दी लाल, जाति बलाई, उम्र वर्ष करीब, निवासी ग्राम आछोजाई, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर। – प्रार्थी

बनाम

1 आनन्दी लाल पुत्र स्व० श्री मांगी लाल, उम्र वयस्क,
2 हरिनारायण पुत्र स्व० श्री मांगी लाल, उम्र वयस्क, समस्त जाति बलाई, निवासीयान् ग्राम आछोजाई, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
4 उप–पंजियक महोदय, रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
.... अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 31.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम आछोजाई, पटवार हल्का चतरपुरा, भे अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 110 के हाल खसरा नम्बर 59 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0. 4200 हैक्टेयर में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के 1/2 हिस्सा में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित हैं एवं हाल खाता संख्या 111 के हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के 1/2 भाग में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा निहित हैं। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं, जिसे की प्रार्थना पत्र की अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात से सम्बोधित किया गया हैं। भूमि विवादग्रस्त वर्णित प्रार्थना पत्र प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व वाद पत्र की प्रतिवादीयागण संख्या 5 की पुश्तेनी भूमि हैं। जो वर्तमान में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं, जो कि पूर्व में प्रार्थी के दादा मांगी लाल पुत्र विजयदास के नाम से दर्ज चली आ रही थी, प्रार्थी के दादा मांगी लाल का सन् 2010 में स्वर्गवास हो चुका हैं, जिसके उपरान्त भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं, जो कि भूमि विवादग्रस्त प्रार्थी की पुश्तेनी पैतृक आराजीयात हैं, जिस पर प्रार्थी का जन्म से ही बाई बर्थ हक हिस्सा निहित हैं, जिस पर प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी संख्या 1 के खाता संख्या 110 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

1/2 हिस्से के 1/8 हिस्से व खाता संख्या 111 के 1/2 हिस्से के 1/8 हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर लगान सरकारी शामलाती रूप से अदा करता चला आ रहा हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं वाद पत्र की प्रतिवादीयागण संख्या 5 ता 6 के दादा स्व० मांगी लाल की कब्जे काश्त की होने के कारण पैतृक आराजीयात हैं, जो वर्तमान में मांगी लाल के विधिक वारिसान के नाम दर्ज चली आ रही हैं। जिसमें प्रार्थी का हिन्दू विधि मुताबिक जन्म से अधिकार निहित हैं अर्थात प्रार्थी का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकार निहित हो गया था तथा भूमि संयुक्त खातेदारी की हैं, जिसका आज दिन तक विधिवत तकासमा नहीं हो रखा हैं। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का जन्म से ही भाग निहित हैं, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं, तथा लगान सरकारी राज्य सरकार को अपने हिस्सानुसार शामलाती रूप से अदा करता आ रहा हैं, प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जिसका नाजायज फायदा उठा कर अप्रार्थी संख्या 2 ने मिलीभगत अप्रार्थी संख्या 1 को बहका रखा हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर नाजायज फायदा उठा कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 वादग्रस्त आराजीयात को बेचान करने पर आमदा हो रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिनांक 06–10–2025 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 अपने साथ कुछ दीगर व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा आते ही भूमि विवादग्रस्त की नाप जौख करने लगें, जब प्रार्थी ने नाप जोख का कारण पूछा तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने कहा कि वे भूमि विवादग्रस्त का बेचान कर रहे हैं, जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 से निवेदन किया कि भूमि में प्रार्थी का भी जन्म से ही हिस्सा निहित हैं, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 उग्र हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि वे अतिशिघ्र भूमि विवादग्रस्त का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम होने का नाजायज फायदा उठाते हुये भूमि को छोटे–छोटे भूखण्डों में भूमि का बेचान, हस्तान्तरित करके रहेगें, तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से से जबरिया बेदखल करके रहेगे, तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने प्रार्थी का भूमि विवादग्रस्त में हक हिस्सा होने से एवं भूमि का विधिवत तकासमा करवाने से साफ इन्कार कर दिया इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया हैं। प्रार्थी को अधिकार हांसिल हैं कि वह अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषैधाज्ञा के इस कदर पाबन्द करवाये कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 वादग्रस्त आराजीयात में निहित प्रार्थी के हिस्से में प्रार्थी के कब्जे काश्त में उपयोग उपभोग में, ... प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा रूकावट, व्यवधान, ... खलात पैदा करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त का बिना विधिवत तकासमा करवाये ... को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी बक्शीश, आदि करें, ना ही विवादग्रस्त में पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त में नींव, खड्डे आदि खोदे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में उगे हरे वृक्षों को काटे, छांगे, ना ही प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से जबरिया लढ़ के पर बेदखल करें, ही भूमि विवादग्रस्त में दीगरान को प्रवेश करवाये, ना ही कब्जा करवाये, तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:50 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 भूमि विवादित को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम होने के आधार पर आगे बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश आदि नहीं करें तथा अप्रार्थी संख्या 3 भूमि विवादग्रस्त बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें, तथा अप्रार्थी संख्या 4 भूमि विवादग्रस्त बाबत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, या परिवारजन के द्वारा करवायें। अप्रार्थीगण को उक्तानुसार जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द नहीं फरमाया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 आपस में मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के आधार पर भूमि बेचान कर देगें, जिससे प्रार्थी अपनी पैतृक आराजीयात के जन्म जात हक हिस्से से महरूम हो जावेगा, तथा प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पुश्तेनी भूमि हैं जिसमें प्रार्थी का बाई बर्थ हिस्सा निहित हैं, प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि पर अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं, जिस कारण प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पेश कर मान्य न्यायालय से निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 वादग्रस्त आराजीयात में निहित प्रार्थी के हिस्से में प्रार्थी के कब्जे काश्त में, उपयोग–उपभोग में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा, रूकावट, व्यवधान, मजाहमत या मदाहखलात पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त का बिना विधिवत तकासमा करवाये बिना किसी दीगरान् को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, बक्शीश, आदि करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त में नींव, खड्डे आदि खोदे, ना ही भूमि विवादग्रस्त में उगे हरे वृक्षों को काटे, छांगे, ना ही प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से जबरिया लठ्ठ के बल पर बेदखल करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में दीगरान् को प्रवेश करवाये, ना ही कब्जा करवाये, तथा अप्रार्थी संख्या 1 भूमि विवादित को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम होने के आधार पर आगे बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश आदि नहीं करें, तथा अप्रार्थी संख्या 3 भूमि विवादग्रस्त बाबत राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें, तथा अप्रार्थी संख्या 4 भूमि विवादग्रस्त बाबत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करें। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, या परिवारजन के द्वारा करवायें। अप्रार्थीगण भूमि विवादग्रस्त बाबत मौका एवं रिकार्ड यथास्थित बनाये रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये ... अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:09:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] मु. जयपुर

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि भूमि विवादग्रस्त वर्णित मद नम्बर 1 प्रार्थना पत्र प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व वाद पत्र की प्रतिवादीयागण संख्या 5 व 6 की पुश्तेनी भूमि हैं। जो वर्तमान में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं, जो कि पूर्व में प्रार्थी के दादा मांगी लाल पुत्र विजयदास के नाम से दर्ज चली आ रही थी, प्रार्थी के दादा मांगी लाल का सन् 2010 में स्वर्गवास हो चुका हैं, जिसके उपरान्त भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं, जो कि भूमि विवादग्रस्त प्रार्थी की पुश्तेनी पैतृक आराजीयात हैं, प्रार्थी ने माना है कि उक्त आराजी में अन्य अप्रार्थीगण उसके सहखातेदार है तथा लेकिन उक्त कृषि भूमि का बकायदा कोई विभाजन नहीं हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी को प्रार्थी व अप्रार्थीगण शामलातीरूप से बंटवारा कर कृषि उपज प्राप्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजी का कानूनन तकासमा नहीं हो रखा। किसी भी सहकाश्तकार को विवादग्रस्त भूमि मे विशिष्ट भू–भाग का विक्रय करने अथवा निर्माण करने अथवा तार बाउण्ड्रीवाल करने का अधिकार नहीं है तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परन्तु प्रार्थी ने यह कही भी साबित नहीं किया की अप्रार्थीगण प्रार्थी के कोनसे हिस्से पर निर्माण अथवा बेचान कर रहे है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड सहखातेदार एवं काश्तकार है ,जैसा कि प्रार्थी ने जाहिर किया है, एक सहखातेदार द्वारा, दुसरे सहखातेदार को पाबंद करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, जैसा कि न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) PAGE 113 में प्रतिपादित किया है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:09:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर